न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

जयपाल वगैरा　　　　बनाम　　　　राज0 सरकार

प्रकरण सं0 – 2021/971 (ocms)

अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थीगण जयपाल, सतपाल पि0 भगवानाराम जाति कुम्हार साकिन 1 एएनएम तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 1 एएनएम के प0 नं0 176/60 के किला नं0 1 ता 25 की 6.162 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबे की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 1 एएनएम बी के प0 नं0 176/60 के किला नं0 1 ता 25 की 6.162 है0 (5.289 अ0क0, 0.873 क0) रकबा जयपाल–सतपाल पि0 भगवानाराम जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा रावला मण्डी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त रकबा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं है। सीएडी रिपोर्ट कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन अ0शा0 खण्ड द्वितीय घड़साना क्रमांक 1006 दिनांक 17.08.2021 के अनुसार चक 1 एएनएम के प0 नं0 176/60 के किला नं0 1, 2/0.10, 1/0.15, 16, 24/0.15, 25/0.15 कुल 4–15 बीघा रकबा सीएडी स्कीम दिनांक 30.09.76 से कमाण्ड दर्ज है व किला नं0 2/0.10, 6, 9, 10/0.05, 11 ता 13, 15, 17 ता 20, 21/0.18, 22/0.18, 24/0.03 कुल 12–14 बीघा रकबा रिसर्वे दिनांक 24.12.1993 से कमाण्ड दर्ज है। प्रार्थीगण सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6–ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार रावला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि सीएडी में अ0क0 से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थीगण से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रावला को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना